PRESS NOTE MEERUT RANGE

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2019 जनपद बुलन्दशहर

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, 10 पेटी अग्रेजी शराब(हरियाणा मार्का) व 01 सेन्ट्रो कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 05.05.2019 को व0उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना कोतवाली नगर मय पुलिस फोर्स के साथ काली नदी के पुल पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग में मामूर थे। कुछ समय बाद एक सेन्ट्रो कार स्याना अड्डे से आती दिखाई दी तथा पुलिस टीम को चैकिंग करते देख रुक गयी। गाडी में सवार अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को देखकर गाडी से उतरकर भागने का प्रयास किया गया जिसको पुलिस टीम द्वारा धमेडा तिराहे पास आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 20.05 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की। उक्त सेन्ट्रो कार को चैक किया गया तो उसमे से करीब 10 पेटी इम्पेक्ट ग्रैन विस्की, अग्रेजी शराब, हरियाणा प्रदेश निर्मित शराब बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- प्रदीप जाट पुत्र नारायण सिंह निवासी खॅाडा थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 सेन्ट्रो कार न0-डीएल-2सीएडी-7328

2- 10 पेटी इम्पेक्ट ग्रैन विस्की, अग्रेजी शराब, हरियाणा प्रदेश निर्मित

-

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा गाड़ी से उतरकर भागने का कारण पूछने पर बताया कि सेन्ट्रो उपरोक्त मे हरियाणा मार्का शराब भरी है इसलिये पुलिस से बचने के लिए वह गाडी से उतरकर भागने लगा तथा काफी समय से वह अपने साथी मोनू के साथ मिलकर हरियाणा राज्य से शराब की तस्करी कर संजय जाट पुत्र श्योराज निवासी रौडा थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर को सप्लाई कर रहा था जहाँ से उसकी पत्नी शराब को महिलाओ के माध्यम से बेचती है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-368/19/2019 धारा 63/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री ध्रुव भूषण दूबे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर
2. व0उ0नि0 श्री सत्यवीर, उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. का0 सन्दीप, का0 मौ0 असलम, का0 सचिन कुमार, का0चालक मुकेश कुमार

PRESS NOTE

दिनांक 05.05.2019

जनपद बागपत पुलिस का सराहनीय कार्य

कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 03 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 15 मो0सा0 बरामद बरामद।

➢ <u>सराहनीय कार्य का संक्षिप्त विवरण–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशानुसार जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्र्तगत थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोरो को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 05.05.2019 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग गौंरीपुर मोड, बागपत से 03 अंतर्राज्यीय वाहन चोर **1–लाला उर्फ सुनील पुत्र हरवीर सिंह 2–काले पुत्र जसवीर सिंह 3–राजकुमार पुत्र जगदीश समस्त निवासी गण–ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत** को चोरी की 01 मो0सा0 स्पलेण्डर प्रो के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी की 13 मो0सा0 व 01 स्कूटी टीवीएस जुपीटर बरामद की गयी है। इस प्रकार अभियुक्तों से **<u>चोरी की कुल 15 मो0सा0/स्कूटी बरामद हुई है</u>**। अभियुक्तों ने पूछताछ मे बताया कि ये लोग दिल्ली, नौएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत व शामली जनपदो से अस्पतालों एवं कचहरी से मो0सा0 चोरी करके अन्य व्यक्तियों को बेचकर रूपये कमाते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर चोर है इनका अपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

➢ <u>अनावरण हुई चोरी की घटनाओं का विवरण–</u>

- अभियुक्तों द्वारा दिनांक 19.04.2019 को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्रान्र्तगत जिला अस्पताल से श्री दिनेश पुत्र शिवचरण नि0 हसनपुर मसूरी थाना खेकडा जनपद बागपत की मोटर साईकिल हीरो स्पेण्डर प्रो नं0–यूपी–17जे–7640 चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में थाना बागपत पर मु0अ0सं0 273/19 धारा 379,411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है।
- अभियुक्तों द्वारा दिनांक 26.09.18 को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अहेडा से श्री ज्ञानेन्द्र पवार पुत्र रामबीर सिंह नि0 ग्राम अहेडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत की मोटर साईकिल पल्सर नं0–डीएल–9एसएई–6961 चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1193/18 धारा 379,411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है।
- अभियुक्तों द्वारा मो0सा0 टीवीएस स्टार सिटी जो थाना शामली जनपद शामली के मु0अ0सं0 220/11 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित बरामद हुई।
- अभियुक्तों द्वारा मो0सा0 स्पलेण्डर प्रो नं0–यूपी–16बीए–6928 जो थाना क्राईम ब्रांच दिल्ली के मु0अ0सं0 12893 से सम्बन्धित बरामद हुई।
- अभियुक्तों द्वारा मो0सा0 हीरो होण्डा पेशन नं0–डीएल–7एसएस–5401 जो थाना कृष्णानगर दिल्ली के मु0अ0सं0 3489 डीसीआर से सम्बन्धित बरामद हुई।
- अभियुक्तों द्वारा मो0सा0 पेशन प्रो नं0–डीएल–5एसबीयू–8342 जो थाना क्राईम ब्रांच दिल्ली के मु0अ0सं0 26257 से सम्बन्धित बरामद हुई।

➢ <u>गिरफ्तार अभियुक्त :–</u>

1–लाला उर्फ सुनील पुत्र हरवीर सिंह निवासी ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2–काले पुत्र जसवीर सिंह निवासी ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3–राजकुमार पुत्र जगदीश निवासी ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

- **बरामदगीः–**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 15 मो0सा0 / स्कूटी–**

1– मोटर साईकिल हीरो स्पेण्डर प्रो नं0–यूपी–17जे–7640
2– मोटर साईकिल पल्सर नं0–डीएल–9एसएई–6961
3– मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्रो बिना नम्बर
4– मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर
5– मोटर साईकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर
6– मोटर साईकिल पेशन प्रो बिना नम्बर
7– मोटर साईकिल पेशन नं0–यूपी–12आर–3512
8– मोटर साईकिल पेशन नं0–यूपी–17एम–4959
9– मोटर साईकिल पेशन बिना नम्बर
10– मोटर साईकिल डिस्कवर नं0–यूपी–17एल–8654
11– मोटर साईकिल टीवीएस स्टार सिटी नं0–एचआर–06क्यू–5245
12– मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्रो बिना नम्बर
13– मोटर साईकिल स्पलेण्डर नं0–डीएल–3एस–एम–921
14– मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस नं0–यूपी–17बी–8790
15– जुपीटर स्कूटी बिना नम्बर

<u>जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.05.19</u>

<u>चोरी के मोबाइल फोन सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-</u> थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 05.05.19 को समय 01.00 बजे वैशाली कट चौराहा के पास से अभियुक्त अमित मिश्र पुत्र दयानंद मिश्र निवासी 242 2nd फ्लोर सरस्वती लेन से0-5 वैशाली थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से थाना इंदिरापुरम के मु0अ0सं0- 993/19 धारा 379/411 भादवि से सम्बंधित चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है |

<u>विभिन्न अपराधों में 05 अभियुक्त गिरफ्तारः</u>– थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 05.05.2019 को 05 अभियुक्तों को भिन्न–भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 तंमचा, 01 चाकू 01 किलो 50 ग्राम गांजा, 01 मो0सा0 सम्बन्धित मु0अ0सं0 1249/18 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रपुरम बरामद हुई हैं।

<u>गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1. विजय पुत्र रामकिशन नि0 म0न0 293 पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद। (चोरी का प्रयास)

2. संदीप पुत्र सुनील नि0 ई–82/ए 458 शरदपुरी प्रथम रोड नं0 64 थाना नन्दनगरी दिल्ली। (1.50 ग्राम गांजा)

3. दिलशाद खान पुत्र शमशाद नि0 लोहा मार्किट एल ब्लाक म0न0 एल–98 बैलकम सीलमपुर शाहदरा दिल्ली। (01 तंमचा)

4. रविन्द्र पाल पुत्र करतार सिंह नि0 ग्राम बयाना थाना मसूरी गा0बाद। (01 चाकू 01मोटर साईकिल)

5. अमित कुमार पुत्र ओमकार नाथ नि0 सी–24 ए शालीमार गार्डन एक्स. सा0बाद गा0बाद। (151/107/116 द0प्र0सं0)

<u>अभियुक्तों से बरामदगी का विवरणः–</u>

1. 01 मोटर साईकिल सम्बन्धित मु0अ0सं01249/18 धारा 379/411 थाना सा0बाद गा0बाद।

2. 1.50 ग्राम गांजा

3. 01 तमंचा .315 बोर

4. 01 चाकू नाजायज

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 05.05.2019 सराहनीय कार्य

थाना एक्सप्रेसवे

जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य।

दिनांक 4.5.2019 की रात्रि में 11 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर को जानकारी प्राप्त हुई कि थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सैक्टर 135 में रेव पार्टी फार्म हाउस में चल रही है। इस सूचना पर पुलिस की अन्य टीमें, जिनमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/अपर पुलिस अधीक्षक नगर/स0पु0अ0–क्षेत्राधिकारी प्रथम/सहायक पुलिस अधीक्षक(प्रशि0)/स्टार टू टीम/स्वाट टीम 1 एवं 2 तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सैक्टर 39 आदि को लेकर उक्त फार्म हाउस में रेड की गई, तो वहॉ पाया गया कि बिना किसी विधिक अनुमति के बड़ी संख्या में लड़के/लडकियों को नशा परोसा जा रहा है, जिसके अन्तर्गत शराब/हुक्के आदि का मौके से जब्त किये गये तथा कुल 161 लडकें एवं 31 लडकियॉ गिरफ्तार की गई। गिरफ्तार किये गये लडके/लड़कियॉ अधिकांशतः दिल्ली तथा अन्य जनपदो के रहने वाले हैं।

प्रारम्भिक पूछताछ में यह भी तथ्य प्रकाश में आये है कि इस रेव पार्टी के आयोजकों द्वारा लडके/लडकियों को सोशल मीडिया आदि के माध्यम से बताया जाता था तथा कई लड़कियॉ बाहर से ग्राहकों के मनोरंजन के लिए बुलाई जाती थी एवं उन्हें एक हजार रुपये प्रति इवेन्ट के हिसाब से दिया जाता था तथा जो लडकियॉ ग्राहकों से ज्यादा पैसा पार्टी में खर्च कराती थीं, उनको 10 प्रतिशत प्रति इवेन्ट के हिसाब से अतिरिक्त पैसा दिया जाता था।

आयोजकों पर शराब एवं मादक पदार्थ परोसे जाने के संबंध में कोई विधिक अनुमति नहीं थी। मौके से यूपी के बाहर दिल्ली एवं हरियाणा की शराब भी बरामद हुई है। पार्टी के स्थान से 39 गाडिया और 09 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

गिरफ्तार हुए मुख्य आयोजको का विवरण निम्नवत हैः–

1.अमित त्यागी पुत्र राजेन्द्र सिंह त्यागी
निवासी गॉव मन्डौली म0नं0 22 दिल्ली–93

2.कपिल सिंह भाटी पुत्र बिजेन्द्र सिंह भाटी
निवासी राहुल विहार गली नं0 1 एनएच–24 विजयनगर, गाजियाबाद।

3.पंकज शर्मा पुत्र राकेश शर्मा
निवासी के 21/19 गली नं0–15 वेस्ट गोण्डा भजनपुरा दिल्ली–53

4.अदनान पुत्र सरताज अहमद
निवासी आजाद मार्केट बडा हिन्दुराव पक्की गली 6202 मकान, दिल्ली–6

5. बालेश कोहली पुत्र रमन सिंह कोहली
निवासी प्लाट नं0 250 विपिन गार्डन नियर द्विवारिका मोड दिल्ली–59

बरामदगी का विवरण निम्नवत है:–

1. 05 बडे हुक्के
2. 26 छोटे हुक्के
3. लगभग 112 बोतल बियर भरी हुयी।
4. लगभग 30 शराब की बोतल भरी हुयी (फॉर सेल इन दिल्ली)
5. डीजे सिस्टम मय स्पीकर
6. डेल ब्रांड का लेपटाप
7. 05 पेकेट स्मोकर कोल
8. 11 पैकेट हुक्के के तम्बाकू
9. मोबाइल फोन व गाडिया

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे स्थानीय पुलिस की संलिप्तता के संबन्ध मे पुलिस अधीक्षक नगर को जांच दी गयी है। शीघ्र ही उस पर कार्यवाही की जायेगी।

थाना सैक्टर 20

दिनांक 22.04.2019 को थाना सैक्टर 20 पर मु0अ0सं0 469/19 पंजीकृत किया गया था, जिसमें माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री महेश शर्मा के भाई श्री अजय शर्मा के द्वारा यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण में स्टिंग से भारी रकम वसूलने एवं ब्लैकमेलिंग करने सम्बन्धी आरोप तीन अभियुक्तों पर लगाये गये थे, जिनमें से एक आरोपी अभियुक्ता निशू को मौके से कैलाश हॉसपिटल नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकरण में जनपद गौतमबुद्धनगर की अपराध शाखा की स्वाट टीम–2 व सेक्टर 20 थाने की पुलिस फोर्स के द्वारा मुख्य आरोपी आलोक कुमार को कोलकाता में थाना क्षेत्र न्यू मार्केट के होटल रीगल से दिनांक 02.05.2019.को गिरफ्तार किया गया एवं पूछताछ हेतू कोलकाता के न्यायालय मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट से 72 घंटे की ट्रांजिट रिमाण्ड पर जनपद गौतमबुद्धनगर लाया गया है। इस मुकदमें की सह अभियुक्ता निशा को भी उपरोक्त मुख्य अभियुक्त आलोक कुमार के साथ साथ गिरफ्तार किया गया है। इनको भी कोलकाता के न्यायालय मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट से 72 घंटे की ट्रांजिट रिमाण्ड पर जनपद गौतमबुद्धनगर लाया गया है। आज दिनांक 05.05.2019 को दोनों अभियुक्तों को जनपद गौतमबुद्धनगर के मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है एवं उन्हें पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर भी लिया जायेगा, ताकि उनसे अग्रिम पूछताछ की जा सके।

प्रथम दृष्टया पूछताछ में दोनों अभियुक्तों द्वारा इस प्रकरण से संबंधित अहम जानकारी दी गयी है, जिनके संबंध मे ंविवेचना प्रचलित है।

प्रेस नोट दिनांक 05.05.2019 जनपद मेरठ

थाना लिसाडीगेट पुलिस द्वारा चार शातिर चोरो को, चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 04.05.2019 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मेरठ व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना लिसाडी गेट मेरठ के निर्देशन में उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार मौर्य मय हमराही पुलिस बल के श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय की टीम की सूचना पर चार गृह चोर 1. आरिफ पुत्र इरफान निवासी आजाद नगर वार्ड नं0 24 सरधना थाना सरधना मेरठ 2. मौ0 शोएब पुत्र शमशाद नि0 उपरोक्त 3. शाजान पुत्र मौ0 सादाब नि0 उपरोक्त 4. नूर आलम पुत्र नूर हसन नि0 आजाद नगर खजूर वाली गली सरधना थाना सरधना मेरठ को कैपिटल पब्लिक स्कूल हापुड रोड के पास से चोरी के माल के साथ समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया ,व मौके से एक चोर वकील उर्फ बिहारी पुत्र अजीम नि0 काशीराम कालोनी थाना खरखौदा मेरठ रात्रि का फायदा उठाकर भाग गया। जिनके पास सरधना मार्किट मे एक दुकान से व सरधना के एक मकान से चोरी किये गये कपडे व ज्वैलरी व अवैध असलाह बरामद हुए है।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरणः-

(1) जिन्दा कारतूस 04 बोर व 315 अदद अवैध तमंचे 02
(2) अदद नाजायज चाकू 02
(3) 02,जीन्स की पैन्ट 49टी शर्ट 15,शर्ट भिन्न भिन्न कम्पनी की
(4) 02, अदद सोने की अंगुठी 02सोने के टुकडे जो चोरी की ज्वैलरी को गलाकर बनाये गये है।
(5) -/40000रूपये नगद

अभियुक्त का नाम व पताः-

1. आरिफ पुत्र इरफान निवासी आजाद नगर वार्ड नं0 24 सरधना थाना सरधना मेरठ
2. मौ0 शोएब पुत्र शमशाद नि0 उपरोक्त
3. शाजान पुत्र मौ0 सादाब नि0 उपरोक्त

4. नूर आलम पुत्र नूर हसन नि0 आजाद नगर खजूर वाली गली सरधना थाना सरधना मेरठ

5- वकील उर्फ बिहारी पुत्र अजीम नि0 काशीराम कालोनी थाना खरखौदा मेरठ (फरार)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

(1) मु भादवि थाना लिसाडी गेट मेरठ 414/411 धारा 19/371 0सं0अ0

(2) मुथाना सरधना 0वि0द0भा 380/457 धारा 19/333 0सं0अ0

(3) मुथाना सरधना 0वि0द0भा 380/457 धारा 2019/338 0सं0अ0

(4) मु आर्म्स एक्ट थाना लिसाडी गेट मेरठ बनाम 25 धारा 19/372 0सं0अ0आरिफ

(5) मुआर्म्स 25 धारा 19/373 0सं0अ0 एक्ट थाना लिसाडी गेट मेरठ बनाम मौशोएब 0

(6) मु आर्म्स एक्ट थाना लिसाडी गेट मेरठ बनाम 25/4 धारा 19/374 0सं0अ0शाजान

(7) मु आर्म्स एक्ट थाना लिसाडी गेट मेरठ बनाम 25/4 धारा 19/375 0सं0अ0नूर आलम

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त गण एक अभ्यस्त किस्म के शातिर अपराधी है जो दिन मे रैकी कर बन्द मकानो व दुकानो की पहचान करके रात्रि मे रैकी किये गये मकान व दुकान मे ताला तोडकर उसमे घुसकर सभी कीमती सामानो ,नगदी,ज्वैलरी चोरी कर लेते है व ज्वैलरी को स्वयं गलाकर उसका रूप बदल कर बेच देते है।

थाना-हस्तिनापुर पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा, गिरफ्तारी व बरामदगी

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियो पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये गये अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मेरठ व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मेरठ के आदेश के अनुपालन मे अपराधियो के विरुद्ध चलाये गये गिरफ्तारी अभियान के दौरान, श्रीमान क्षेत्राधिकारी मवाना मेरठ के कुशल निर्देशन मे थानाध्यक्ष हस्तिनापुर धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व मे दिनांक 05/05/2019 को समय 03.35 बजे

वाछिंत अभियुक्तगण की तलाश व चैकिंग के दौरान शातिर अपराधी अभि0 योगेन्द्र पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम जनधेडी थाना मवाना मेरठ व अभि0 राजू पुत्र जुम्मा नि0 शकुन्तला कालोनी थाना हस्तिनापुर मेरठ गिरफ्तार किया गया। अभि0 य़ोगेन्द्र द्वारा चांद ट्रांसपोर्ट मेरठ से इलेक्ट्रोनिक्स का सामान भरकर नजिबाबाद ले जाना रास्ते में सामान को बेच देना।

नाम पता अभि0गण

1. योगेन्द्र पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम जनधेडी थाना मवाना मेरठ
2. राजू पुत्र जुम्मा नि0 शकुन्तला कालोनी थाना हस्तिनापुर मेरठ

अभियुक्तगण से बरामदगी

1. दो अदद पोर्टेबल ए0सी0 हैनीवैल
2. पाच अदद रुम कूलर हैनीवैल
3. एक अदद ए0सी0 मितशुबिशी स्पीलिट
4. तीन अदद ए0सी0 ओ-जनरल सपीलिट
5. एक अदद ए0सी0 डैक्कन स्पीलिट
6. एक अदद गाडी छोटा हाथी UP 15 AT 8947

अभि0गण का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 83/19 धारा 379/411 भादवि थाना हस्तिनापुर

अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना परीक्षितगढ पुलिस द्वारा नहर झाल पटरी लोधीपुरा से अभियुक्त दिनेश पुत्र चेतन निवासी ग्राम प्रताप नगर थाना हस्तिनापुर मेरठ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 प्लास्टिक जरी कैन में 10 लीटर शराब खाम बरामद की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना परीक्षितगढ पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।